10

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर एवं पटना जलापूर्ति योजना की समीक्षा हेतु दिनांक– 15.11.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष बुडको के द्वारा मुजफ्फरपुर एवं पटना जलापूर्ति योजना के लिए क्रमशः DPR/PPR का प्रस्तुतीकरण बुडको के द्वारा किया गया।

I **मुजफ्फरपुर शहरी जलापूर्ति योजना** :– बुडको द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजनान्तर्गत वर्तमान में 219.74 किलोमीटर पाईप लाईन है, जिसमें से 72 किलोमीटर पाईप लाईन कार्यरत नहीं है (Redundant)। मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना का DPR 2036 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है। OHT के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। भूमि का NOC प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। DPR में योजना का O & M की अवधि 7.5 वर्ष निर्धारित किया गया है। DPR के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. OHT एवं Tubewell के लिए चिन्हित स्थल का सड़क एवं Landmark का विवरणी DPR में अंकित किया जाय। नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा योजना की स्वीकृति के पूर्व चयनित स्थल का NOC संबंधित विभाग से प्राप्त कर लिया जाय।

2. DPR में वर्ष 2051 में Population Projection का आधार सही नहीं पाया गया है, तद्नुसार Projected Population की गणना सही ढंग से करते हुए DPR उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

3. DPR में योजना का O & M अवधि अन्य योजनाओं के समरूप 05 वर्ष निर्धारित करने का निदेश दिया गया है।

4. DPR में 500 Stand Post का प्रावधान किया गया है। चुकि इस योजना के तहत हर घर में House Connection दिया जाना है। अतः Stand Post की आवश्यकता की समीक्षा कर DPR से हटाने/कम करने का निदेश दिया गया है।

5. Miscellaneous खर्च का विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

6. Mechanical Work के लिए DPR में अलग से प्रावधान किया गया है, जबकि यह जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत ही आता है। अतः इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया है।

7. DPR में दर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/BCD द्वारा निर्धारित दर के आधार पर प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। यदि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/BCD के S.O.R. में उक्त मद का दर निर्धारित नहीं हो तो DSR अथवा WBSR के S.O.R. का उपयोग किया जाय।

8. मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना में पूर्व के संवेदक को भुगतान की गई राशि के अनुरूप बिछाये गये पाईप की भौतिक जाँच करने का निदेश बुडको को दिया गया था। अतः DPR में पूर्व में बिछाये गये पाईप को ध्यान में रखते हुए पाईप लाईन की लम्बाई का प्रावधान करने का निदेश दिया गया। पाईप लाईन Mising होने या कम होने के संबंध में बुडको द्वारा बताया जाएगा।

9. DPR के साथ पूर्व की स्वीकृत योजनान्तर्गत अवयववार राशि एवं वर्तमान योजना की राशि का तुलनात्मक विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही एक तालिका में पूर्व के प्रावधानों एवं वर्तमान में प्रस्तावित प्रावधानों का विवरणी अंकित किया जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर में 11 OHT का जीर्णोद्धार हेतु योजना स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार उसका भी विवरण तालिका में अंकित किया जाय।

II **पटना जलापूर्ति योजना** :– बुडको द्वारा बताया गया कि पटना जलापूर्ति योजना का PPR तैयार किया गया है। इस योजनान्तर्गत गंगा नदी के सतही जल का उपयोग किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत Per Capita एवं जनसंख्या के आधार पर पाईप लाईन की लम्बाई निर्धारित की गई है। 05 OHSR एवं उससे संबंधित Distribution Network के लिए एकरारनामा 01 माह के अन्दर कर लिया जाएगा। शेष 13 बचे OHSR एवं Distribution Network का DPR तैयार किया जा रहा है, जो एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पटना जलापूर्ति योजना के शेष कार्यों हेतु पटना जलापूर्ति योजना के PPR के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये है :–

1. 18 OHSR एवं संबंधित Distribution Network को छोड़कर शेष बचे क्षेत्र का PPR तैयार किया जाय। PPR तैयार करने के क्रम में GIS Mapping का उपयोग कर सड़कवार Distribution Network का निर्धारण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य राज्यों/जिलों का भी जनसंख्या घनत्व के आधार पर पाईप लाईन की लम्बाई का तुलनात्मक विवरणी तैयार कर PPR में संलग्न किया जाय। इस क्रम में यह भी निदेश दिया गया पूर्व की योजना के प्राक्कलित राशि, नये प्रावधानों के अनुसार योजना की राशि एवं GIS Mapping के अनुसार योजना की राशि का जोनवार तुलनात्मक विवरणी उपलब्ध कराया जाय।

2. शेष बचे 13 OHSR एवं संबंधित Distribution Network का अलग–अलग DPR तैयार कर 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश बुडको को दिया गया।

3. योजना में प्रावधानित OHSR एवं संबंधित Distribution Network के लिए चिन्हित स्थल का सड़क एवं Landmark का विवरणी PPR में अंकित किया जाय। नगर निगम, पटना द्वारा उक्त स्थल के लिए NOC संबंधित विभाग से प्राप्त कर लिया जाय। NOC प्राप्त होने के पश्चात ही योजना की स्वीकृति दी जाएगी। इस संबंध में वर्तमान में उपलब्ध OHSR की भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है।

4. JnNURM योजनान्तर्गत पटना जलापूर्ति योजना से शेष बचे पाईप एवं अन्य फिटिंग्स की गणना कर वर्तमान में तैयार किये जा रहे PPR में अंकित कर उक्त उपलब्ध मात्रा की राशि को घटा दिया जाय। पूर्व में पटना जलापूर्ति योजना में बिछाये गये तथा बचे हुए पाईप की मात्रा आदि की जाँच MB एवं भुगतान विवरणी से मिलान कर लिया जाय तथा किसी प्रकार का अंतर आने पर विभाग को भी प्रतिवेदित किया जाय।

5. पटना जलापूर्ति योजना का संशोधित PPR 15.12.2018 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

1/12/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–20/2017 6246 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–03/12/18

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुज़फ्फरपुर/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/विभागीय नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 03 एवं 04/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/12/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

आनन्द